कार्यवृत्त

सोमवार, 03 अग्रहायण, शक संवत्, 1935

(दिनांक 24 नवम्बर, 2014 ई0)

खण्ड-41
अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 23.11.2014 को समाचार चैनल पर दर्जाधारी मंत्री द्वारा धनराशि लिए जाने तथा सदस्यों को लेकर सरकार गिराने की बात को लेकर नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर सभी भाजपा के सदस्य अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि उक्त विषय से संबंधित प्रमाण मेरे कक्ष में प्रस्तुत कर दे, तब जांच करा दी जाएगी।

इस पर भाजपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा घोर व्यवधान होने लगा इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:08 पर 11:30 तक के लिए स्थगित कर दी।

सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 12:00 तक बढ़ा दिया है।

12:00 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 12:30 तक बढ़ा दिया है।

पुनः 12:30 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 03:00 तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्रमाण स्वरूप सी0डी0 श्री अध्यक्ष के समक्ष पेश करते हुए कहा कि उक्त विषय पर चर्चा करा ली जाए।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय को नियम 58 में सुन लेंगे तथा श्री जीना जी की नियम 310 की सूचना को कल नियम 58 में दे दें वे इस पर विचार कर लेगें।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद् अध्यादेश, 2014 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद अध्यादेश, 2014 को सदन के पटल पर रखा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक) को सदन के पटल पर रखा।

गृह मंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 73 (2) के अन्तर्गत ''उत्तराखण्ड पुलिस शिकायत प्राधिकरण वर्ष 2013 की वार्षिक रिर्पोट'' (अवधि 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013) को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने सदन के अनुसमर्थन हेतु प्राप्त संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

(1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम

राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

(6) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तेईसवां अधिनियम बन गया।

आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर प्राप्त 05 सूचनाएं स्वीकृत हुई जो पढ़ी हुई मानी गयी :-

1. श्री मालचन्द	विधान सभा क्षेत्र पुरोला, जनपद उत्तरकाशी में विद्युत लाईन के अभाव के कारण उरेड़ा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाईट सब्सिडी अधिक से अधिक संख्या में दिये जाने के संबंध में।
2. श्री मदन कौशिक	हरिद्वार विधान सभा में बैरागी कैम्प स्थित धोबी घाटों पर आवश्यक सुविधाएं नहीं दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष के संबंध में।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में स्थित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र सैणयानुर की दयनीय स्थिति के संबंध में।
4. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में सुगम क्षेत्र के अनेक विद्यालयों में पदोन्नति, नई नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की व्यवस्था न हाने से 3 सुगम विद्यालयों के बन्द होने तथा 30 विद्यालयों के बन्द होने की संभावना के संबंध में।
5. श्री राजकुमार ठुकराल	विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में विभिन्न सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण निर्माण किये जाने की मांग के संबंध में।

"जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत मीरपुर मुवाजरपुर विकास खण्ड बहादराबाद की क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजेन्द्र चौहान, निवासी ग्राम मीरपुर, पो0 गढमीरपुर, विकास खण्ड बहादराबाद, हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु श्री चन्द्र शेखर, सदस्य विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं हुए।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा "उत्तराखण्ड बोर्ड के कक्षा 10 एवं 12 के मेधावी छात्रों को श्रीदेव सुमन मेधावी छात्रवृत्ति योजना दिलाये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश सिंह,

निवासी ग्राम झगेरी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी नागटिब्बा मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री कुंवर सिंह पंवार, ब्लाक प्रमुख निवासी जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा भनार के मोटर रोड़ तिमलाबगड़ सवेधार से ग्राम सभा चुचेर के धरमधर माजखेत मोटर रोड घुरडिया बैन्ड तक लगभग 08 कि0मी0 मोटर रोड़ स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में" श्री पान सिंह कोरंगा, निवासी ग्राम सभा (पांखू) भनार पो0 लार्थी वाया सामा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट धरमघर में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री जीवन लाल वर्मा, निवासी ग्राम व पो0 सिमगड़ी, विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जिला पिथौरागढ़ के तहसील गंगोलीहाट के ग्राम पंचायत नायल गूंठ तल्ली नायल को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में" श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम तल्ली नायल पो0 सलिया, जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के स्थान गनेठा में समूह पेयजल पम्पिंग योजना स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री नन्दन सिंह, निवासी ग्राम व पो0 सिमगढ़ी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के राजकीय बालिका इण्टर कालेज ऐठाण में प्रधानाचार्य एवं विभिन्न विषयों में रिक्त प्रवक्ता के पदों तथा लिपिक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में" श्री दर्वान सिंह कुंवर, निवासी ग्राम ऐठाण पो0 भराड़ी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार कमान्द में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती सरस्वती रावत, निवासी ग्राम तिखोन बैलगांव, पो0 भल्डियाना थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई। ।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम पंचायत घोन में हाईस्कूल के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री बेल सिंह, निवासी ग्राम घियाकोटी पो0 कान्सी थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 24 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>नवम्बर, 2014</u>

24 सोमवार	1.	औपचारिक कार्य।
	2.	अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना।
25 मंगलवार	1.	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के (द्वितीय अनुपूरक) अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04:00 बजे)
26 बुधवार	1.	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के (द्वितीय अनुपूरक) अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
	2.	उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
27 गुरूवार	1.	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 310 के अन्तर्गत कुल 3 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, श्री हरबंस कपूर, श्री मदन कौशिक, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री बंशीधर भगत, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री संजय गुप्ता, श्री राजेश शुक्ला, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री चन्दन राम दास, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्रीमती विजया बड़थ्वाल, श्री दलीप रावत एवं श्री राजकुमार ठुकराल के हस्ताक्षरयुक्त पहली सूचना तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की दूसरी सूचना को तथा नियम 58 के अन्तर्गत प्राप्त कुल 6 सूचनाओं में से प्रथम सूचना श्री मालचन्द, दूसरी सूचना श्री महावीर सिंह रांगड़, तीसरी सूचना श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री आदेश चौहान एवं चौथी सूचना श्री पूरन सिंह फर्त्याल नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे शेष सूचनाओं को वे अस्वीकार करते हैं।

मा0 सदस्य व दर्जाधारी मंत्री के एक चैनल पर कुछ रूपये लेकर सरकार गिराये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट, श्री हरबंस कपूर, श्री मदन कौशिक, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री बंशीधर भगत, श्री विशन सिंह चुफाल एवं श्री हरभजन सिंह चीमा ने अपने विचार व्यक्त किए। मा0 सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी तथा नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय की जांच विधान सभा द्वारा की जाए तत्पश्चात् सूचना अग्राह्य हुई।

विधान सभा पुरौला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री मालचन्द ने अपने विचार व्यक्त किए। स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जौनपुर टिहरी में 2013-14 में आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के राहत हेतु दी गई धनराशि न मिलने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में महावीर सिंह रांगड़ ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गन्ना किसानों का गत वर्ष का मूल्य भुगतान अभी तक न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

चम्पावत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक महिला के अपहरण के आरोप विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत रूद्रपुर में भूमि भूखण्डों की रजिस्ट्री हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय आरम्भ किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजकुमार ठुकराल ने अपने विचार व्यक्त किये। वित्त मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-

"यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्रान्तर्गत 'संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014' द्वारा प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, का अनुसमर्थन करता है'।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला तथा नौगांव क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फल एवं सब्जी का उत्पादन होने के कारण मण्डी की स्थापना किए जाने की मांग के संबंध में श्री मालचन्द की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् गठित होने पर भी राज्य में पैरामेडिकल कोर्स बी0आर0डी0/आई0टी0, बी0पी0टी0 एवं बी0ओ0टी0 के स्नातकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के सम्बन्ध में श्री पुष्कर सिंह धामी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।